आर टी आई स्पीड पोस्ट

फाइल संख्या वीपीएस-55/01-आरटीआई/72/2013-14 25 मार्च 2013

श्री चन्द्र प्रकाश
निजी सचिव एवं जनसूचना अधिकारी,
मुख्य सचिव,
मुख्य सचिव कार्यालय लखनऊ,
उत्तर प्रदेश शासन।

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत सूचना हेतु

महोदय,

संलग्न पत्र श्री दीपक वालिया, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार अन्वेषण संगठन,367/368 कसेरू बक्सर, मवाना रोड़ मेरठ उत्तर प्रदेश का दिनांक 20 मार्च 2013 का पत्र इस कार्यालय में दिनांक 22 मार्च 2013 को प्राप्त हुआ जिसके साथ इन्होंने रूपये 10/- का पो.आ. संख्या 17F 071041 संलग्न कर मानवाधिकार के तहत इंसाफ की रक्षा हेतु न्यायपूर्ण कार्यवाही की सूचना चाही है, चूंकि पत्र की विषय-वस्तु उत्तर प्रदेश सरकार से संबंधित है। अत: इनका आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत आपको हस्तांतरित किया जा रहा है। कृपया इनके आवेदन पर उचित कार्यवाही कर, की गई कार्रवाई की सूचना अधोहस्ताक्षरी को तथा आवेदक को भी प्रेषित करने की कष्ट करें।

यदि यह विषय-वस्तु आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती हो तो कृपया इसे उस सूचना अधिकारी को हस्तांतरित करने का कष्ट करें जिसके यह निकट से संबंधित हो।

धन्यवाद,

भवदीय,

(महिताब सिंह)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

प्रतिलिपि:-
श्री दीपक वालिया, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार अन्वेषण संगठन,367/368 कसेरू बक्सर, मवाना रोड़ मेरठ उत्तर प्रदेश -कृपया विस्तृत जानकारी हेतु उक्त जनसूचना अधिकारी से संपर्क करें।

(महिताब सिंह)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

O/C

26/3/13

आर टी आई स्पीड पोस्ट

फाइल संख्या वीपीएस-55/01-आरटीआई/72/2013-14 25 मार्च 2013

श्री चन्द्र प्रकाश
निजी सचिव एवं जनसूचना अधिकारी,
मुख्य सचिव,
मुख्य सचिव कार्यालय लखनऊ,
उत्तर प्रदेश शासन।

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत सूचना हेतु

महोदय,

संलग्न पत्र श्री दीपक वालिया, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार अन्वेषण संगठन,367/368 कसेरू बक्सर, मवाना रोड़ मेरठ उत्तर प्रदेश का दिनांक 20 मार्च 2013 का पत्र इस कार्यालय में दिनांक 22 मार्च 2013 को प्राप्त हुआ जिसके साथ इन्होंने रूपये 10/- का पो.आ. संख्या 17F 071041 संलग्न कर मानवाधिकार के तहत इंसाफ की रक्षा हेतु न्यायपूर्ण कार्यवाही की सूचना चाही है, चूंकि पत्र की विषय-वस्तु उत्तर प्रदेश सरकार से संबंधित है। अत: इनका आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत आपको हस्तांतरित किया जा रहा है। कृपया इनके आवेदन पर उचित कार्यवाही कर, की गई कार्रवाई की सूचना अधोहस्ताक्षरी को तथा आवेदक को भी प्रेषित करने की कष्ट करें।

यदि यह विषय-वस्तु आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती हो तो कृपया इसे उस सूचना अधिकारी को हस्तांतरित करने का कष्ट करें जिसके यह निकट से संबंधित हो।

धन्यवाद,

भवदीय,

(महिताब सिंह)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

"WE WILL FIGHT TOGETHER WE WILL SURE WIN"

अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार अन्वेषण संगठन

INTERNATIONAL HUMAN RIGHT INVESTIGATION ORGANISATION

Reg No 056

Reg. Office 367/368, Kaseru Baxer, Mawana Road Meerut,(INDIA) Mob 9358297875
9759226027,7417946387,9358419427

Administration office A-84,Defence Colony, Mawana Road Meerut,(INDIA)

Ref. No. Date 20-3-13

तत्काल**आज ही**अभी

सर्वोच्च प्राथमिकता ** अतिआवश्यक

राष्ट्रहित एवं मानवाधिकार हित में अविलम्ब संज्ञान हेतु

मानवाधिकार की अक्षुण्ण रक्षा हेतु जनहित में व्यक्तिगत संज्ञान में

Do Not Delay PLEASE

RIGHT to INFORMATION
MY RIGHT, MY MIGHT,
THE RIGHT TO KNOW
KEEPING GOV'T ACCOUNTABLE

स्पीड पोस्ट ** संलग्न पावती
Most Immediate Time Bond
समयबद्ध ** नियमानुसार

सेवा में,

माननीय हामिद अंसारी जी,
उपराष्ट्रपति, भारत सरकार,
नई दिल्ली।

सर्वप्रथम निवेदनः– बेहद जरूरी निवेदन– आप पद से हट कर पीड़ितों की जगह खुद को रख कर इंसाफ की रक्षा सुनिश्चित करायेंगे। पीड़ितों को तत्काल कड़ी सुरक्षा घेरे में लें लेगें। क्योंकि मानवता से बहुत गहरे जुड़े मानवाधिकारों के नियमों को बेदर्दी से जूतों तले रोंद दिया गया है। इसलिए आपसे अपेक्षा है कि आप ऐसी ठोस कार्यवाही करेंगे जिसके चलते राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को बिना दातों व बिना पंजो वाला शेर ना कहना पड़े।

विषयः– राष्ट्र के भविष्य मासूम जय कुमार सोनकर (जे0क़े0) पर अत्याचारियों को गिरफ्तार कर जेल में ठूंसने व इतने कम अर्से में करोड़ों की सम्पत्ति अर्जित की इसकी सूचना जांचने के सम्बन्ध में।

संदर्भः– कृत इंसाफपूर्ण कार्यवाही से सूचना अधिकार अधिनियम 2005 (**Right to Information 1 बजे।**) की धारा 6 की उपधारा 3, 6(3) के तय समय सीमा के अन्तर्गत अविलम्ब अवगत कराने के सम्बंध में एवं धारा 5 की उपधारा 5 (5) के तहत मैं ही पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से अपने कर्त्तव्य का निर्वहन जन सूचना अधिकारी के रूप में भी करूंगा। सूचना पाने के लिए शुल्क के रूप में 10 रूपये का पोस्टल आर्डर संलग्न है जिसकी सं0 19F-071041 है। उक्त धाराओं से छल–कपट न हो जाये, इसीलिए महामहिम राष्ट्रपति को सम्बोधित कार्यालय का आदेश पत्र संलग्न कर रहा हूँ जिससे आपको स्पष्ट पता लग जायेगा कि न्याय के नासूरों ने इंसानियत को कत्ल–लो–गारत कर इंसाफ की चूल्हें हिलाकर रख दी है।

आदरणीय मान्यवर जी,

अधोहस्ताक्षरी द्वारा आपके संज्ञान में बेहद दुख के साथ लाया जा रहा है कि पीड़ित जय कुमार सोनकर (जे0के0) पुत्र श्री परशुराम का शपथ पत्र अति महत्वपूर्ण प्रपत्रों की प्रतिलिपि के साथ प्राप्त हुआ है। जिसे बेहद गहनता, गम्भीरता एवं संजीदगी से लेते हुए अवलोकनार्थ पाया कि अति प्रचण्ड एवं भीषणतम मानवाधिकार उल्लंघन मानवता को ताक पर रख कर अंजाम दिया गया है (संलग्न)।

मान्यवर इंसाफ की रक्षा हेतु बिना देरी के आपको प्रेषित कर रहा हूँ इस आशा के साथ कि आप भी मामले की गम्भीरता को देखते हुए सम्पूर्ण प्रपत्रों को बेइंतहा गहराई से व संजीदगी से अवलोकन उपरान्त ऐसी अचूक कार्यवाही करेंगें कि कोई भी मानवाधिकार उल्लंघन करने की जुररत ना कर सकें। अब मान्यवर यह भी हकीकत है कि हम अन्याय, अत्याचार व प्रताड़ना की समस्या है का हम समाधान है। और अगर हम समाधान नहीं है तो हमें धिक्कार कर फेंक देने वाली समस्या है। अब यह भी निश्चित है कि आपकी द्वारा ही की गई न्यायपूर्ण कार्यवाही से इंसाफ की रक्षा सुनिश्चित होगी। कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को अविलम्ब (न्याय में विलम्ब भी अन्याय है) अवगत कराने का कष्ट करें।

दरिंदों ने दरिंदगी से दरख्त कॉटकर साये चुरा लिये,
चोरों के चाल–चलन से चकनाचूर हो रहा आम आदमी।
जिल्लत ने खुदकुशी के रास्ते दिखा दिये।
अब ओर क्या कर सकता है आम आदमी।।
कितना मारोगे जालिमों एक दिन तो जी उठेगो आम आदमी...........

जय कुमार सोनकर (जे0के0)–

जालिम को इसके जुल्म की कैसे मिले सजा।
मुंसिफ के होंठ सीं दिये सोने के तार से।।
जय कुमार सोनकर (जे0के0) के पिता परशराम

ईमान वालो मुझे न्याय के नासूरों से
न्याय दिलाऐ ''इंसाफ''
अगर इंसाफ ना मिला तो मानवता चारों खानें चित्त

दीपक वालिया

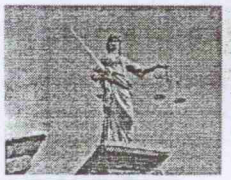

सत्यमेव जयते

धन्यवाद!

भवदीय,

दीपक वालिया,
(अन्तर्राष्ट्रीय अध्यक्ष)
कसेरू बक्सर, मवाना रोड, मेरठ।

प्रतिलिपि आवश्यक सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु :–

1. समस्त मीडिया।
2. श्रीमान सी0बी0आई0निदेशक, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. माननीय प्रणव मुखर्जी राष्ट्रपति, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. माननीय हामिद अंसारी जी, उपराष्ट्रपति, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5. माननीय डा0 मनमोहन सिंह, भारत सरकार, नई दिल्ली।
6. माननीय सुशील कुमार शिंदे, गृह मंत्री, भारत सरकार नई दिल्ली।
7. माननीय विधि एवं न्याय मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली।
8. माननीय केन्द्रीय गृह सचिव, भारत सरकार, नई दिल्ली।
9. माननीय मीरा कुमार, अध्यक्ष लोकसभा, भारत सरकार, नई दिल्ली।
10. माननीय चैयरमेन साहब,उ0प्र0 मानवाधिकार आयोग, उ0प्र0 सरकार, लखनऊ।
11. माननीय बनवारी लाल जोशी जी, राज्यपाल उ0प्र0सरकार, लखनऊ।
12. माननीय न्यायाधीश उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
13. माननीय बान–की–मून द्वारा 55, लोधी स्टेट, नई दिल्ली।
14. अन्य कार्यालय को जहाँ इंसाफ की फरियाद पर कार्यवाही हो जाए प्रेषित।

NOTARIAL

जय कुमार सोनकर

[illegible] कर [illegible] जबरदस्ती करके खाली करवाता है तो शपथकर्ता का परिवार सड़क पर आ जायेगा। दूकान मालिक अहलैद [illegible] दुकान खाली [illegible] मारने की धमकी देता आ रहा है। मुझे शपथकर्ता के पास इसके अलावा कोई विकल्प / जरिया शेष नहीं इसलिए मदद हेतु आप की शरण मे आया हूँ।

2- यह कि मै शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि शपथपत्र के साथ किरायेदार/ किरायेनामे की छायाप्रति संलग्न है। जो उक्त किरायानामा ता उम्र तक कायम रहेगा।

3- यह कि मै शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि उपरोक्त शपथपत्रकी धारा 1ता3 मेरे निजि ज्ञान व विश्वास मे सब सत्य है। कोई बात छिपायी नहीगयी है। ईश्वर मेरी मदद करे।

जयकुमार सोनकर

प्रमाणितस्थाननैरउ।

दिनांक- 17-3-2013

शपथकर्ता हस्ताक्षर

ATTESTED

NOTARY 17/3/13

ता० 31/7/02

मैं [illegible] S/O [illegible] निवासी [illegible] पी. एण्ड टी. कॉलोनी

रोड [illegible] गली नं० 26 [illegible] 6000/- रु० मासिक किराया

लेना तय हुआ [illegible] किराये की रकम

को किराया देता रहूँगा [illegible] किरायेदार को तीन

महीने पहले किराया जमा देगा [illegible] रखेगा

[illegible] 6000/- रु०

[illegible] किराया 350/- रु० महावार

किराया हर 2 वर्ष बाद 5% बढ़ेगा।

रसीद लिख दी है ताकि सनद रहे।

गवाह — हरीश S/O [illegible]

260 पी. एण्ड टी. [illegible]

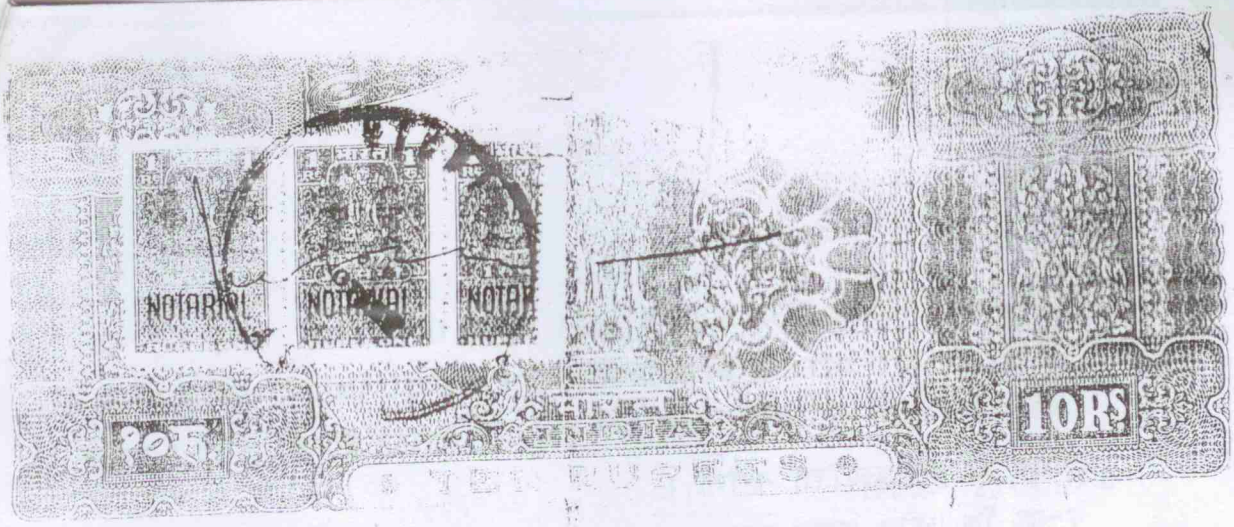

किरायेनामा
==========

हमकि श्री परसराम पुत्र श्री गुरुददीन निवासी 244 बेगम बाग मेरठ शहर--फरीक अव्वल {किरायेदार}

व श्री अखिलेश कुमार त्यागी पुत्र श्री रिसाल सिंह त्यागी निवासी 193 पी0 एल0 शर्मा रोड मेरठ शहर---फरीक दोयम {मालिक दुकान}

जोकि सालिम एक दुकान प्राईवेट नम्बर 11 जो जीने के नीचे की दुकान है स्थित शिवम प्लाजा काम्पलैक्स पी0 एल0 शर्मा रोड मेरठ {जो नाले वाली रोड पर है} का फरीक दोयम मालिक है जिसे फरीक अव्वल अपने कारोबार के लिए किराये पर लेना चाहते है जिसके लिए फरीक दोयम भी सहमत है। अतः फरीक अव्वल ने उक्त दुकान को अंकन 500/=पांच सौ रुपये प्रतिमाह फरीक दोयम से लेना तय कर लिया है । निम्नलिखित शरते दोनो पक्षो के मध्य तय पाईगई है जिसके दोनो पक्ष व उसके उत्तराधिकारी गण पाबन्द रहेगे :-

1-यह कि किरायेदारी दिनांक 19-2-99 ई0 से तय हुई है जो ता उम्र तक कायम रहेगी यानि जब तक फरीक अव्वल फरीक दोयम को किराया अदा करते रहेगे उक्त दुकान मे किरायेदार बने रहेगे ।

2- यह कि फरीक अव्वल ने फरीक दोयम को दिनांक 19-7-99 ई0 तक का किराया पैशगी अदा कर दिया है। अब फरीक अव्वल फरीक दोयम को दिनांक 19-7-99 ई0 के बाद किराया अदा करेगे ।

3- यह कि फरीक अव्वल ने फरीक दोयम को अंकन 25000/=पच्चीस हजार रूपये बतौर अमानत के अदा कर रखे है जिसे फरीक अव्वल दुकान को खाली करते समय बिना ब्याज फरीक दोयम से प्राप्त करने के अधिकारी रहेगे ।

4- यह कि फरीक अव्वल उक्त दुकान मे कोई ऐसा कार्य नही करेगे जिससे कि दुकान या सम्पूर्ण बिल्डिग को कोई नुकसान हो।

5- यह कि हर तीन साल बाद फरीक अव्वल मौजूदा किराये मे 5 पांच प्रतिशत की

परसराम पुष्पा त्यागी

Attested

वृद्धि करके किराया फरीक दोयम को अदा करता रहेगा ।

6- यह कि यदि फरीक अव्वल ने किन्ही तीन माह का किराया फरीक दोयम को अदा नही किया तो फरीक अव्वल उक्त दुकान मे सेकाबिले बेदखली होगे । फरीक अव्वल को कुछ आपत्ति नहोगी ।

7-यह कि फरीक अव्वल उक्त दुकान मे बिजली का कनेक्शन अपने व्यय से लेगे और बिजली का भुगतान बिल का करने की पूर्ण जिम्मेदारी फरीक अव्वल की होगी ।

8- यह कि यदि फरीक अव्वल द्वारा व्यापार करने के कारण उसके व्यापार पर कोई टैक्स आदि लगता है तो उसको चुकता करने की जिम्मेदारी फरीक अव्वल की होगी । बिल्डिंग से कोई ताल्लुक या वास्ता किसी का नही होगा ।

9- यह कि यदि फरीक दोयम को उक्त दुकान की जरूरत पडती है तो फरीक दोयम फरीक अव्वल को छः माह का नोटिस देकर उक्त दुकान को खाली करा सकेंगे । अतः यह किरायेनामा लिख दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे ।इति

पदमचन्द ---------------------- पुष्पा त्यागी---

गवाह हरिराम
॥ 4/24 M

गवाह राजीव त्यागी
॥ 61 ...

दिनांकः-5-3-99 ई0

Attested
5/3/99

सं. ई -6/आरटीआई/87/04/2008
राष्ट्रपति सचिवालय
नई दिल्ली

दिनांक : 23.04.2008

श्री दीपक वालिया,
ए- 84, डिफैन्स कॉलोनी,
मवाना रोड, मेरठ.
जिला-मेरठ,
उत्तर प्रदेश।

आपका सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत दिनांक 19.04.2008 का पत्र दिनांक 22.04.2008 को प्राप्त हुआ, जिसमें आपने इस सचिवालय को प्रेषित किए गए पत्रों पर की गई कार्यवाही के संबंध में जानकारी प्रदान करने संबंधी उल्लेख किया है। आपके द्वारा चाही गई जानकारी का विवरण निम्नलिखित है :

इस संबंध में आपको सूचित किया जा रहा है कि आपके द्वारा प्रेषित किए गए पत्र इस सचिवालय को समय-समय पर प्राप्त हुए थे जिनका विषय उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारक्षेत्र का था और वही उनसे संबंधित उपयुक्त प्राधिकारी थी। इसी आधार पर आपके उन पत्रों को समय-समय पर मूल रूप में इस सचिवालय के पत्र सं. पी2/जी-1205090 दिनांक 30.10.03, पी2/जी-1207644 दिनांक 08.03.04, पी2/जी-1208056 दिनांक 31.03.04 पी2/जी-1208681 दिनांक 13.05.04, पी2/डी-652836 दिनांक 22.12.06, पी2/जी-1230380 दिनांक 24.07.07, पी2/जी-1230468 दिनांक 25.07.07, पी2/जी-1231564 दिनांक 30.08.07, पी2/ई-852477 दिनांक 14.08.07 और पी2/एफ-1079113 के माध्यम से दिनांक 17.01.08 को मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार को अग्रेषित कर दिया गया था और आपको सलाह भी दी गई थी कि अपने मामले के संबंध में संबंधित सरकार के कार्यालय से सीधे सम्पर्क स्थापित करें।

आपके इस प्रार्थना-पत्र को भी सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के तहत मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार को मूल रूप में स्थानान्तरित किया जा रहा है और आपको पुनः सलाह दी जा रही है कि अपने मामले में की गई आगे की कार्रवाई की जानकारी प्राप्त करने हेतु भविष्य में संबंधित राज्य सरकार के कार्यालय से सीधे सम्पर्क स्थापित करें।

आ कालिया

(आशिष कालिया)
केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी

प्रतिलिपि:

मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ और उचित कार्यवाही हेतु।

... भी नहीं
चित्रांगदा

पंजाब केसरी

दिल्ली

मेरठ

पहली नजर

मेरठ में पेशी के बाद न्यायालय से बाहर आता कुख्यात बदमाश ऊधम सिंह। (छाया : मुत्र)

दागदार पुलिसकर्मियों की दगा

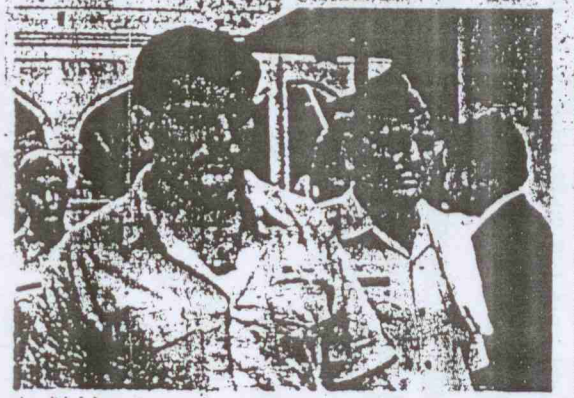

• मेरठ, (न.स.): दागदार पुलिस कर्मियों को बचाने के लिए राष्ट्रपति सचिवालय से भेजे गए जांच पत्रों पर भी अधिकारी कुंडली मारकर बैठ गए। एक-दो नहीं बल्कि पूरे दस पत्र राष्ट्रपति सचिवालय से भेजे गए, लेकिन एक पर भी जांच नहीं करायी गयी। इतना ही नहीं जब पीड़ित युवक बयान दर्ज कराने पहुंचा तो उसे थाना लालकुर्ती से ही डांट-फटकार कर भगा दिया गया। लालकुर्ती थाना के डिफेंस कालोनी निवासी दीपक वालिया और उसके परिवार का कसूर केवल इतना है कि उन्होंने डकैती डालकर भाग रहे बदमाशों को अपनी जान पर खेलकर दबोच लिया और पुलिस की मदद की। परिवार वालों द्वारा हत्या कर लटकायी गयी एक युवती के मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। इसकी कीमत इस परिवार ने खासतौर से दीपक को कई दिन तक पुलिस की अमानवीय यातनाएं बर्दाश्त कर चुकानी पड़ी। मामला करीब सत्ताइस साल पुराना है। शहर के एक नामी चिकित्सक की बेटी का अपहरण कर लिया गया। इस मामले में पहले से मौके के इंतजार में बैठी पुलिस ने दीपक को फंसाने का पक्का इंतजाम कर लिया, लेकिन चिकित्सक की पुत्री मथुरा से बरामद कर ली गयी। अपहरणकर्ता भी दबोच लिए गए। उन्होंने जुर्म भी स्वीकार कर लिया। इसको लेकर पुलिस की जमकर किरकिरी हुई। मुंह की खाने के बाद पुलिस दीपक व उसके परिवार से और भी ज्यादा चिढ़ गयी। कुछ समय बाद सदर के बुला हलवाई के पौत्र आशीष का अपहरण हो गया। इस बार भी पुलिस ने अपहरण के मामले में एक बार फिर बेकसूर दीपक को उठा लिया। उसको निर्मम यातनाएं दी गयीं, लेकिन इस बार भी पुलिस को मुंह की खानी पड़ी आशीष का अपहरण करने वाले बदमाश दबोच लिए गए। आशीष भी सकुशल बरामद हो गया। इस मामले में चौंकाने वाली बात यह रही कि दो ऐसे व्यापारी सामने आए जिन्होंने कहा कि पुलिस के कहने पर ही उन्होंने दीपक का नाम लिया।

दीपक दोबारा भी बेकसूर साबित हो गया, लेकिन पुलिस ने जीवन भर के लिए उसको अपाहिज कर दिया। अपने साथ हुए अन्याय में इंसाफ के लिए यह युवक तमाम जगह फरियाद कर चुका है। राष्ट्रपति सचिवालय, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, राज्यपाल, प्रधानमंत्री कार्यालय। इन सभी स्थानों से जांच के निर्देश देकर आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए, लेकिन दागदार पुलिस कर्मियों को बचाने के लिए इन पत्रों पर अधिकारी कुंडली मारकर बैठ गए। हद तो तब हो गयी जब दीपक के मामले में दस पत्र जांच के निर्देश देकर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार को भेजे गए, लेकिन इन पत्रों पर अधिकारी कुंडली मारकर बैठ गए।

चोरी का आरोपी गिरफ्तार

सरधना, (मेरठ ब्यूरो): पिछले एक माह से तारीख से गैरहाजिर चल रहे चोरी के एक आरोपी को आज पुलिस ने क्षेत्र से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम बहादरपुर निवासी बुद्ध पुत्र श्याम सिंह को पुलिस ने वर्ष 2001 में चोरी के आरोप में जेल भेज दिया था। कुछ दिनों बाद बुद्ध को जमानत भी मिल गई थी। कुछ दिनों तक तारीख पर जाने के बाद उसने तारीख पर जाना बंद कर दिया जिस पर न्यायालय ने उसके वारंट जारी कर दिये।